29/8/19 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उप०।
P.O. सा० कानून व्यवस्था मे व्यस्त होने से
अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 3/9/19
को पेश हो।

3/9/19 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उप०।
P.O. सा० लेवल मे पधारे होने से
अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 11/9/19
को पेश हो।

11/9/19 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उप०।
P.O. सा० लेवल मे पधारे होने से।
अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 16/9/19
को पेश हो।

16/9/19 पत्रावली पेश हुई P.O. सा० भिन्न
कार्य में व्यस्त होने से
अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 23/9/19
को पेश हो।

23/9/19 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उप०।
SDO सा० मीटिंग मे पधारे होने से
अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 27/9/19
को पेश हो।

27/9/19 पत्रावली आज पेश हुई।
उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित
प्रार्थना पत्र पर मजिद बहस सुनी गयी।
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का
अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय
पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली
किया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 27/9/19

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज.)
पीठासीन अधिकारी– रमेश सीरवी पुनाडियॉ आर.ए.एस.

प्रा.पत्र संख्या :: 74/2014

राजेन्द्र कुमार पिता सुजानमल जाति जैन निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

श्रीमति मुन्नादेवी पत्नि श्री वृद्धिचन्द कोठारी निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
विपक्षी

उपस्थित :: श्री एस.सी.टेलर
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अब्दुलकरीम
अधिवक्ता विपक्षी

दिनांक :: 27.09.2019

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री एस.सी.टेलर द्वारा प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र मे निवेदन इस प्रकार से किया कि ग्राम काटुन्दा प0ह0 काटुन्दा की कृषि आराजी नम्बर 1457 मी. रकबा 1.25 हैक्टर में प्रार्थी का 6593/10000 हिस्सा है एवं विपक्षीया का 887/10000 हिस्सा है। विपक्षीया के अकेली के स्वामित्व की भू मि कृषि आराजी नम्बर 1458/1 रकबा 0.16 हैक्टर उक्त आराजी नम्बर 1457 मी. के दक्षिण में लगी हुई है। आराजी नं. 1457मी. के विपक्षीया का 887/10000 हिस्सा है इसलिए वह चाहती है कि आराजी नं0 1458/1 के उत्तर में अपना कब्जा स्थापित कर ले। इसलिए विपक्षीया ने दिनांक 26.09.2014 व 27.09.2014 को अपने नौकरां व अपने पुत्र को मौके पर कब्जा करने के लिए भेजा लेकिन जाते हुए धमकी दे गये कि हम कब्जा करके रहेगें।

कानूनन आराजी नं. 1457 मी. संयुक्त खाते की भूमि है एवं उसके विभाजन के लिए न्यायालय श्रीमान में वाद संख्या 37/14 पेशी दिनांक 15.10.2014 लम्बित है। विपक्षीया ताकत के बलपर बिना विभाजन के ही मौके पर आराजी नं0 1458/1 से उत्तर की ओर राजेश कुमार के पत्थर की कोट को आगे कर कब्जा करना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होकर विपक्षी के विरूद्ध प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। विपक्षीया के स्वामित्व की भूमि 1458/1 जो कि बेगूँ काटुन्दा रोड से लगी हुई है, का रोड के सहारे चौडाई 72 फिट है लेकिन, विपक्षीया 112 फिट पर कब्जा करके बैठी है और अब आराजी नं0 1457मी. में कब्जा करना चाहती है जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है।

विपक्षीया के विरूद्ध यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो विपक्षीया आराजी नं0 1458/1 के उत्तर में संयुक्त खातेदार होने के आधार पर कब्जा स्थापित कर सकती है जिससे प्रार्थी को अपुरणीय हानि होगी क्योंकि प्रार्थी ही आराजी नं0 1457 मी. का सबसे बडा सहखातेदार है। कानूनन विपक्षीया आराजी नं0 1457 मी. में किसी जगह विशेष पर अपना कब्जा स्थापित करने की अधिकारी नहीं है। इसलिए विपक्षीया को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वाद निस्तारण तक आराजी नं0 1457 मी. में किसी जगह विशेष पर अपने अकेली का कब्जा न तो स्वयं स्थापित करें एवं न ही किसी नौकर, एजेंट, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य आदि से आराजी नं0 1457 मी. में जगह विशेष पर कब्जा स्थापित करें। आराजी नं0 1458/1 के उत्तर में श्री गोविन्दराम सिंधी के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि थी जिसको प्रार्थी ने दिनांक 13.09.2013 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। विपक्षीया बदयान्तीपूर्वक इस जगह पर बैठना चाहती है। विपक्षीया को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो विपक्षीया को कोई हानि होने वाली नहीं है क्यो कि विपक्षीया के कोई अधिकार समाप्त होने वाले नहीं है। इसके विपरीत

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी को अपूर्तनीय हानि होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना सिद्ध है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीया के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि विपक्षीया वाद निस्तारण तक न तो स्वयं न ही किसी नौकर, एजेंट परिवार के सदस्य आदि से आराजी नं0 1457मी. की जगह विशेष जो कि आराजी नं0 1458/1 के उत्तर दिशा में लगती हुई है, मे कोई कब्जा स्थापित नहीं करें। यदि दौराने प्रार्थनापत्र विपक्षीया जबरन आराजी नं0 1457 मी. में जगह विशेष पर कब्जा कर ले तो आदेशात्मक अस्थाई निषेधाज्ञा से वाद पूर्व की स्थिति को पुर्नस्थापित किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने के उपरान्त बाद जॉच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी की ओर से मूलदावा पत्रावली में अधिवक्ता श्री अब्दुल करीम द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं है क्यो कि प्रार्थी द्वारा जो पूर्व वाद के लम्बित रहते नया वाद प्रस्तुत कर उसके साथ जो यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह पोषनीय नहीं है क्यो कि एक ही सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी पूर्व वाद के लम्बित रहते नया वाद नहीं लाया जा सकता प्रार्थी को आदेश 23 नियम 1 दीवानी प्रकिया संहिता के तहत यदि पूर्व वाद में कोई कानूनी कमी थी तो आदेश 6 नियम 17 दीवानी प्रकिया संहिता के तहत पूर्व वाद में संशोधन हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर संशोधन की अनुमति के पश्चात स्वीकृत किये गए संशोधन को मूल वाद में जोड कर आवश्यकता प्रतीत होने पर धारा 212 रा0का0अधि0 के तहत आवेदन लाना विधि सम्मत था। विपक्षीया के कब्जे एवं खाते की भुमि मौजा काटुन्दा के आराजी नं0 1458/1 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि विपक्षीया ने सन 2003 में क्रय की तभी से उसका कब्जा है। आराजी नं0 1457 मीन मे से 291/500 वा हिस्सा विपक्षीया ने मांगीलाल पुत्र श्रवण गुर्जर से दिनांक 8.06.2012 को क्रय किया मांगीलाल गुर्जर से उसके कब्जे वाली भूमि जो विपक्षीया के ही खाते में पूर्व से ही अभिलिखित व कब्जे वाली भूमि मौजा काटुन्दा 1458/1 से सटी हुई भूमि का कब्जा प्राप्त किया जो खसरा नं0 1458/1 के उत्तर दिशा वाले हिस्से की तरफ खसरा नं0 1457 मीन में विपक्षीया का कब्जा है, इसकी जानकारी सहकाश्तकारो को रही है। प्रार्थीया पहले से भूमि पर काबिज है प्रार्थी ने न्यायालय में अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से गलत तथ्यो का प्रकटीकरण न्यायालय को मुगालते में रखते हुए नए काल्पनिक तथ्यो का विवरण प्रार्थना पत्र में दिया जो केवल अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए दिया गया है किसी भी पक्षकार को कोई कानूनन यह अधिकार नहीं देता है कि स्थगन आदेश प्रापत करने के लिए सही तथ्यो को छिपाते हुए गलत तथ्यो को प्रकटीकरण करे और उसके साथ झूठा शपथपत्र लगाकर स्थगन आदेश प्राप्त करलें।

दिनांक 26.09.2014 व 27.09.2014 को विपक्षीया द्वारा कोई नया कब्जा नहीं किया गया जबकि प्रार्थी ने विपक्षीया एवं विपक्षीया का परिवार यात्रा पर गया हुआ था उसके पीठ पीछे से उसके कब्जे वाली भूमि की सीमाबंदी को तोड कर अपना कब्जा दर्शाने के लिए अपराधिक कृत्य कारित किया जिसकी प्रथम सूचना विपक्षीया की ओर से थाना पारसोली में दी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड होकर नहीं दिया है। प्रार्थी ने यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस हेतु प्रस्तुत किया कि अपने द्वारा किए अपराधिक कृत्य से बच सके प्रार्थी का कृत्य पूर्ण रूप से पूर्वाग्रसित एवं वेमन्स्य वाला है प्रार्थी इसलिए विपक्षी के विरूद्ध यह प्रार्थनपत्र लेकर आया है क्योकि विधि में यह व्यवस्था है कि यदि प्रार्थी का पूर्व वाद डिकी भी होता है तो विभाजन में विपक्षीया को उसकी पूर्व से ही खाते में चली आ रही भूमि 1458/1 से सटी हुई भूमि ही बंटवाडे में प्राप्त होगी राजस्थान टीनेन्सी (रेवन्यु) बोर्ड नियमावली 1955 में विभाजन की व्यवस्था अनुसार भी विभाजन एक काम्पेक्ट के रूप में जहा तक संभव हो दिया जाना चाहिए इस व्यवस्था के अनुसार प्रार्थीया को सडक से सटी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

हुई भुमि प्राप्त होना सुनिश्चित है। प्रार्थी ऐसा नहीं होने देना चाहता इसलिए प्रार्थी ने विपक्षीया को परेशान करने की गरज से की वह विपक्षीया को सडक से से सटी हुई भूमि नहीं प्राप्त हो यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी को यह अधिकार नहीं है किसी सहकाश्तकार को कहा बैठकर संयुक्त खातेदारी की भूमि का उपयोग करना चाहिए एक सहकाश्तकार दूसरे सहकाश्तकार को अपनी इच्छानुसार किसी स्थान पर बिठाने के लिए कोई वाद नहीं ला सकता न ही अपने बैठने का स्थान तय करवाने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। एक सहकाश्तकार दूसरे सहकाश्तकार के विरूद्ध तभी अस्थाई निषेधाज्ञ प्राप्त कर सकता है जब एक सहकाश्तकार कृषि के आकार व स्परूप को नष्ट कर रहा है। इसलिए न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त किया है वह कानूनी रूप से सही नहीं है विपक्षीया के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से कोई सुविधा सन्तुलन नहीं है विपक्षीया न तो भूमि का स्वरूप बदल रही है एवं न ही उसको व्यवसाय एवं उद्याग के रूप में काम में ले रही है प्रार्थी ऐसा कोई आरोप नहीं है कि विपक्षीया द्वारा कृषि स्वरूप को बदला जा रहा हो तथा उसकी उपयोगिता समाप्त की जा रही है।

विपक्षीया ने अपने विशेष कथन में निवेदन किया कि दीवानी प्रकिय संहिता की व्यवस्था के अनुसार कोई भी स्थगन आदेश जहा सह स्वामित्व की सम्पत्ति है। एक पक्षीया स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायाचित नहीं है स्थगन आदेश विपक्षीया को बिना सुने जारी किया गया है वह खारिज योग्य है। स्थगन आदेश जारी करने के लिए आदेश 39 नियम 3(ए) यह व्यवस्था दी गई है कि कोई भी स्थगन आदेश सीधे रूप से पक्षकार से पक्षकार को नहीं भेजा जाएगा। जब तक आदेश 39 नियम 3(ए) भाग की औपचारिकता पूर्ण नहीं कर ली जाती अर्थात स्थगन आदेश जारी करने के लिए न्यायालय सह निर्देश देगा कि विपक्षीया को जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट के आवेदन की प्रति व दस्तावेजो की प्रति भिजवायी जावे तत्पश्चात न्यायालय में प्रार्थी से यह शपथपत्र लिया जायेगा की उसने आदेश 39 नियम 3(ए) की औपचारिकताए पूर्ण कर ली है तब न्यायालय स्थगन आदेश जारी करेगा प्रभावी नहीं है। स्थगन आदेश जिस प्रकार किया गया वह प्रकिया की अवहेलना होने उसकी कोई मान्यता नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सहकाश्तकार को सुने बिना सीधे स्थगन आदेश जारी करने की व्यवस्था नहीं है क्योकि सह काश्तकार को उतने ही अधिकार है जितने प्रार्थी ही प्रार्थनापत्र में तत्काल भूमि नष्ट करने का कोई उल्लेख नहीं है इसलिए जो स्थगन आदेश जारी किया गया है वह विधी सम्मत नहीं होने से हटाये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में जवाब विपक्षी का प्रस्तुत होने के पश्चात प्रार्थी एवं विपक्षी अधिवक्तागण द्वारा अपनी अपनी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। प्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में उल्लेख किया गया कि लिखित बहस के चरण संख्या 2 के सम्बन्धं मे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत है। जवाब की आवश्यकता नही है। कलम संख्या 3 गलत होकर विपक्षीया के दिश ज्ञान न होने का प्रमाण है। दिनांक 26.09.2014 व 27.09.2014 के सम्बन्ध में प्रार्थी के कथन सही है। कलम सख्यां 3 मे वर्णित आ0स0 1457 मी0 का खाता संयुक्त खातेदारी का होकर प्रार्थी एवं विपक्षीया सहित अन्य सह खातेदार भी है। विपक्षीया का आ0स0 1458/1 पर रोड पर आ0स0 1458/1 की उत्तर से दिक्षिण की कुल लम्बाई 72 फीट ही बनती है। और विपक्षीया 112 फीट पर कब्जा करके बेठी है। विपक्षीया आ0 स0 1458/1 के उत्तर में जो कि आ0 स0 1457मी0 है में भी रोड के सहारे स्वतन्त्र रूप से कब्जा करना चाहती है। जिसका कानूनन अधिकार नही है क्याकि आ0 स0 1457 मी0 की रोड के सहारे की जमीन तो पहले ही दिनांक 07.05.1979 को पजींकृत विकय पत्र से खरीददार गोविन्दराम सिधीं द्वारा कय कर ली गई थी एवं उस जमींन को प्रार्थी ने कय कर ली है। इस प्रकार स्पष्ठ है कि आ0 स0 1457 मी0 की जमीन रोड के सहारे पहले ही प्रार्थी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

एवं उसरो पुर्व विकेता गोविन्दराम सिंधी का है तो विपक्षीया केसे स्वतन्त्र रूप से आ0स01457 मी0 मे रोड के सहारे स्वतन्त्र रूप से कब्जा कर सकती है। वस्तुतः विपक्षीया के पक्ष में पजींबद्व विकयपत्र ही विधि विपरीत भी है एवं तथ्यों से भी सुसंगत नही है। यह है लिखित बहस की कलम संख्या 5 उप कलम "अ" गलत होकर विधि विपरित है। जिसको वक्त मौखिक बहस कर निवेदन किया जायेगा । जहा तक प्रश्न उप कलम "ब" का है वह एक विपक्षीया का सुझाव मात्र हैं एवं वह भी विधि विपरीत है । उप कोलम स के अनुसार आ0 स0 1458/1 व आ0 स0 1457 मी0 आपस मे सही होना सही होना सही है किन्तु विपक्षीया का यह कहना गलत है कि विपक्षीया द्वारा कय की गई भुमि आ0स0 1457 मी0 से सही हुई है । उक्त कालम स0 द विपक्षीया की कल्पना मात्र हैं। कानुनन ऐसा संभव ही नही है एवं न ही यह मौके पर संभव है। विपक्षीया के पक्ष में आ0 स0. 1457 मी0 के संबधं में पंजीबद्व विकयपत्रों से भी विपक्षीया को न तो कोई मदद प्राप्त होती है एवं न ही संभव है। उप कालम"य" के सम्बंध में निवेदन यह है कि विपक्षीया की क्या कल्पना रही है इससे प्रार्थी पावंद नही है। वैसे भी विपक्षीया या उसको विकय करने वाला विकेता दोनो ही का विधि विपरीत विकय पत्र पजींबद्व कराने का काई अधिकार नही है। उप कालम संख्या र के सम्बधं में निवेदन यह है कि आ0 स0 1457 मी0 में प्रार्थी एवं विपक्षीया सह खातेदार यह सही है किन्तु जगह विशेष पर विपक्षीया को बैठने का कोई अधिकार नही है। उप कालम "ल"के सम्बधं में रेवेन्यु रेकार्ड पत्रावली पर सुलभ है।

विपक्षीया की लिखित बहस की पृष्ठ संख्या 3 के अन्तिम पद के अनुसार जो विपक्षीया ने कथन किये है उन पर विपक्षीया के आचरण जबरन आ0 स0 1457 मी0 में कब्जा करने का नही है तो प्रार्थीया द्वारा धारा 53 रा0 टि0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किये गये विभाजन के वाद को स्वीकार कर ले तो कोई विवाद ही नहीं रहेगा। जहा तक प्रश्न विपक्षीया द्वारा प्रार्थी को आ0 स0 1457 मी0 से जबरन कब्जा करने का है गलत है। आ0 स0 1457 मी0 मे रोड के सहारे कब्जा होने का प्रश्न ही नही उठता।

विपक्षीया ने अपनी लिखित बहस में जिन न्यायिक द्वष्टांतो का अवलम्बन किया है वह सिद्वान्ततः सही है किन्तु हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियो से भिन्न होने के कारण विपक्षीया का समर्थन नही करते है। विपक्षीया के सभी न्यायीक द्वष्टांत हस्तगत प्रकरण में कैसे लागू नही होते है। इसका विस्तृत विवेचन मोखिक बहस के दौरान किया जायेगा। विपक्षीया जो कि आराजी संख्या 1457 मी0 की एक सहखातेदार है जिसकी जगह विपक्षीया कब्जा करना चाहती है वह भूमि तो पहले ही दिनांक 7/5/1979 को पंजीकृत विकयपत्र से विकय हो चुकी थी। प्रार्थी की और से न्यायिक द्वष्टांत वक्त मौखिक बहस प्रस्तुत किये जायेगे। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विपक्षीया को प्रार्थनापत्र अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

विपक्षीअधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में उल्लेखित किया गया कि प्रार्थी ने मुल वाद अन्तर्गत धारा 188–92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के प्रस्तुत कर गोजा कादुन्दा स्थित कृषि भुमि खसरा स0 1458/1 के उत्तर में स्थित आ0 न0 1457 मी0 के किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा नही करने हेतु विपक्षीया के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अभिवचन अनुसार आ0 न0 1457मी0 रकबा 1.2500 हेक्टर के कई खातेदार है जिससे प्रार्थी अपने विभिन्न समय में खरीद किये अनुसार सह खातेदार के रूप में अभिलिखित खातेदारों के साथ सयुक्त कब्जा है। प्रार्थी का कुल रकबें 1.25 हे0 में 6563/10000 हिस्सा है। व विपक्षिया का 867/10000 वा हिस्सा है ।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या 1857 मी0 के दक्षिण दिशा में आम रोड है विपक्षीया द्वारा सडक की तरफ कब्जा करने के प्रयास में दिनांक 26.09.2014 एवं दिनांक 27.09.2014 को अपने नौकरो एवं आदमियों को भेजा लेकिन प्रार्थी को जानकारी होने पर उसने भगाा दिया। घमकी दे गये अवश्य कब्जा करके रहेगें । खसरा सख्यां 1457 मी0 सामलाती खातें की भुमि है विपक्षीया पत्थर की कोट लगाना चाहती है। विपक्षीया की खातेदारी भुमि ख0स0 1458/1 पहले से ही रोड से सटी हुई है विपक्षीया उसके स्थान पर प्रार्थी 112 फीट पर कब्जा करके बेठी हुई है। विपक्षीया रोड की तरफ और कब्जा करना चाहती है विपक्षीया को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। विपक्षिया ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का प्रतितौर दिया जिसमें मुख्य बचाव लिया गया है।

(अ) कि प्रार्थी ने एक विभाजन का वाद पहले से पेश कर रखा है जो प्रकरण संख्या 37 सन 2014 है प्रार्थी ने पुर्व वाद के लम्बित रहते नया वाद प्रस्तुत कर दिया जो विधि विरूद्व है यदि प्रार्थी को पुर्व वाद के अतिरिक्त कोई अनुतोष चाहिए था तो उसे या तो पुर्व वाद को विड्रो करना चाहिए था। तत्पश्चात यह वाद लाना चाहिए था। अथवा उसी वाद में संशोंधन करवा कर यह प्रार्थना पत्र देना चाहिए था। ओदश 2 नियम 2 दि0प्र0स0 के तहत ऐसे वाद लाना वर्जित है।

(ब) पुर्व वाद में ही धारा 212 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने में भी कोई कानुनी बाधा नही थी। प्रार्थी ने एक वाद के लम्बित रहते दुसरा वाद प्रस्तुत कर दिया जो कानुनन वर्जित है। क्योकि एक ही सम्पतीं बाबत दो वाद न्यायालय मे नही चल सकते।

(स) विपक्षीया ने आ0 न0 1458/1 वाली भुमि जिस खातेदार से कय की उसी की खातेदारी भुमिं ख0 स0 1457मी0 है। खरीद की गई भुमि ख0स01457 मी0 से सटी हुई है।

(द) विपक्षीया की कय की 1458/1 रकबा 0.16हे0 भुमि का 1457 मी0 से विकेता खातेदारों को लेकर कोई सम्बन्ध नही है। विपक्षीया ने आ0 ख0 नम्बर 1457 मी0 का 291/500 हिस्सा मागीं लाल गुर्जर से दिनांक 8/6/2012 को कय किया । मांगी लाल गुर्जर ने विपक्षीया को उसकी पुर्व में कय की गई भूमि खसरा सख्यां 1458/1 से सटी हुई भुमि का कब्जा दिया गया। इसलिये विपक्षीया 1458/1 से सटी हुई अपने द्वारा कय की गयी भुमि खसरा स0 1457 मी0 के 291/500 हिस्से का कब्जा दिया उस समय प्रार्थी उक्त भुमि में सहकाश्तकार नही था।

(य) विपक्षीया ने इस हित को मध्यनजर रखते हुऐ खसरा स0 1457 मी0 का 291/500 हिस्सा कय किया। विपक्षीया उसी कब्जे वाले हिस्से पर बेठी हुई है। विपक्षीया अपनी भुमि एक साथ रखना चाहती थी। इसी लिये विकेता से ख0न0 1458/1 से सटी भुमि का कब्जा लिया जिसके लिए विकेता सहमत था।

(र) उसके पश्चात प्रार्थी एवं विपक्षीया ने सयुक्त रूप से खसरा संख्या 1457 मीन का बचा हिस्सा कय किया । प्रार्थी ने गलत तथ्य अपने प्रार्थना पत्र में अकिंत किये है। विपक्षीया जबरन नये सिरे से दक्षिणी ओर कब्जा नही करना चाहती है। विपक्षीया एवं उसका परिवार पर तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। तब प्रार्थी ने विपक्षीया के आ0 न0 1457 मी0 के कब्जे वाले 291/500 हिस्सा पर लगी विपक्षीया के बन्धे की दीवार को मिसमार कर दिया । विपक्षीया ने न तो खसरा सख्यां 1457 मी0 के नये सीरे से कोई कब्जा किया विपक्षीया ने इसके लिये मुकदमा भी थाने मे दर्ज करवाया।

(ल) आ0 न0 1457 मी0 एक ही नम्बर की भुमि पर हो उसकी किस्म बाराना है। उसमें अन्य खातेदार भी है। प्रार्थी ने मिथ्या एवं मनगडन्त आधार पर दिनांक 26.09.2014 व 27.09.2014 जबरन कब्जा करने का प्रयास का आरोप लगाते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

-----लगातार

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त भुमि ख0न0 1457 मी0 सह खातेदारों की भुमिं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई भी आरोप नही है कि विपक्षीया द्वारा भुमि को नष्ट प्रायः किया जा रहा हो अथवा प्रार्थी की हिस्सेदारी से इनकार कर उसे कब्जे से बाहर करने के प्रयास मे कोई कार्यवाही की हो अपितु इस के विपरित प्रार्थी ने विपक्षीया के कब्जे में दंखालअंदाजी की है। इसलिये विपक्षीया को फिर भी यह अधिकार था कि वह प्रार्थी के विरूद्व अपने कब्जे को सुरक्षित रखने के लिये प्रार्थना पत्र पेश करती इस के विपरीत प्रार्थी ने यह गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया ।

प्रथम दृष्टया प्रकरण के बिन्दु को तय करने के लिये न्यायालय को यह सुनिश्चित करना है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो में विपक्षीया द्वारा हस्तक्षेप प्रार्थी खातेदार को कृषि भुमि के उपयोग से वचिंत किया जा रहा है। भुमि सहकाश्तकारी भुमि है इसलिये ऐसे मामले जो सह कास्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लाया गया है। उसमें सभी सह कास्तकारों के समान अधिकार होते है। इसलिये एक सह काश्तकार का दुसरे सह काश्तकार के विरूद्व प्रथम दृष्टया प्रकरण होना नही माना जा सकता इसलिये सहकाश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी01977 पेज 374 आर0आर0डी01999 पेज 327 आर0आर0डी01996 पेज 296 आर0आर0डी01981पेज 639 आर0आर0डी01994 पेज 124 आर0आर0डी0 2011 पेज 856 का उल्लेख अपनी लिखित बहस मे करते हुए कय की गई खसरा सख्यां 1458/1 की 0.16 हे0 भुमि है विपक्षीया ने उसी से सटी हुई खसरा सख्यां 1457 मी0. का 291/500 वा हिस्सा कय किया जब प्रार्थी भुमि में सहकाश्तकार नही था। यदि विभाजन भी होगा तो भी प्राथिया को रूल्स 1955 के तहत आ0 न0 1458/1 से सटी हुई आ0 न0 1457 मीन में उसके हिस्से वाली भुमि मिलेगी ।
इसलिये विपक्षीया उस स्थान पर बोनाफाइड रूप से कब्जा बनाये रखने की अधिकारीणी है। धारा 212 रा0टि0एक्ट के प्रावधान कृषिभुमि सुरक्षा एवं उसके नष्ट प्रायः होने से बचाने के लिए है। जबतक प्रार्थी यह सिद्व नही करवा देता कि भुमि को खराब किया जा रहा हे क्षतिग्रस्त किया जा रहा है या उसका अन्तरण किया जा रहा है। तब तक सह काश्तकार के विरूद्व कोई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती हैं । अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी लिखित बहस में न्यायिक दृष्टान्त आर0एल0डब्ल्यू 2011(1)आर जे पेज 59 आर0एल0डब्ल्यू 2009(2) आर जे पेज 961का भी उल्लेख करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 रा0टि0 एक्ट के तहत निशेधाज्ञा जारी करने के लिए किसी भी मानक को सिद्व नही करता है, इसलिए पोषणीय नही हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता एवं विपक्षी अधिवक्ता की मौखिक बहस को भी ध्यानपूर्वक सुना तथा न्यायिक दृष्टान्त का भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया एवं सम्पूर्ण दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। ग्राम काटून्दा की आराजी नं. 1457 मी. क्षेत्रफल 1.2 हे0 भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 6573/10,000 तथा विपक्षी का हिस्सा 887/10,000 हिस्सा है। साथ ही यह भी है कि 1458/1 क्षेत्रफल 0.16 हे0 जो 1457 मीन के दक्षिण में लगी हुई है तथा आराजी नं. 1457 मीन में विपक्षीया का हिस्सा 887/10,000 है। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों ही उक्त भूमि पर खरिददार होकर अपना अपना कब्जा विक्रेता से प्राप्त करते है। हमने रजिस्टर्ड बेचान नामा का भी ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। रजिस्टर्ड बेचान नामा के आधार पर ग्राम काटूंदा आराजी 1957मी. में गोविन्दलाल पिता वीरूमल द्वारा राजेन्द्रकुमार पिता सूजानमल जैन द्वारा उक्त भूमि को कय किया गया। इसमें उल्लेख किया गया कि हिस्सा भूमि मुझ विक्रेता ने अपने स्वामित्व आधिपत्थ्य एवं कब्जे से निकाल कर आप क्रेता के स्वामित्व व कब्जा में सौप दी है। यह रजिस्टर्ड उप पंजीयक बेगूँ द्वारा 13 सितम्बर, 2013 को पंजीयन किया गया। इसी प्रकार एक दुसरा पंजीयन मॉगीलाल पिता श्रवण गुर्जर द्वारा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

मुन्नी देवी पत्नी वृद्धिचंद कोठारी द्वारा पंजीयन किया गया जिसमें मौजा काटून्दा प0मण्डल काटून्दा तह0 बेगूँ की वर्तमान ज माबंदी संवत 2064–2067 खाता खतौनी 486 अंकित आराजी नम्बर 1457 मीन रकबा 1.25 हैक्टर में जिसमें संयुक्त खाता खातेदार राजेन्द्रकुमार पिता सुजानमल जैन 17/125 मॉगीलाल पिता श्रवण गुर्जर 291/500 खातेदार होकर उपरोक्त आराजी में मुझ विकेता का निहित हक हिस्सा 291/500 है0 जिसमें मुझ विकेता का निहित हिस्सा 291/500 है. का 20/291 यानी सम्पूर्ण हिस्से का 1/25 हिस्सा को श्रीमती मुन्ना देवी पत्नी वृद्धिचंद कोठारी निवासी बेगूँ को विकय किया। विकयशुदा आराजी केता की आराजी 1458/1 से स्पर्शी होकर मौके पर एक चक रही है। जिसमें विकयशुदा हिस्सा आराजी पर मुझ विकेता ने अपना कब्जा व दखल हटा आप केता को दाखिल व काबिज करा दिया। इसी प्रकार यह एक उप पंजीयक कार्यालय बेगूँ में 02.06.2012 को पंजीयन किया गया। इसी प्रकार एक विकय विलेख मॉगीलाल पिता श्रवण गुर्जर द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार पिता सुजानमल , श्रीमती मुन्नादेवी पति वृद्धिचंद्र कोठारी के पक्ष में विकय कर दिया। इसमें लिखा गया कि विकयशुदा आराजी मौके पर आप केता की आराजी संस्पर्शी होकर एक चक हो रही है, जो मुझ विकेता द्वारा केतागण को विकय कर दी गई। अतः दोनो प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को जो उन्होने कय किया है दोनो अपने उस जगह पर काबिज है वहॉ विकेता ने उन्हें कब्जा सुपुर्द किया है।

अप्रार्थी को इस आशय से पाबंद करना उचित प्रतीत नहीं होता है कि वह कयशुदा भूमि पर अपना कब्जा प्राप्त नहीं करें। चूँकि वह जरिए विकयनामा के आधार पर उक्त भूमि को कय किया है, इसी आधार पर जमाबंदी में प्रार्थी व अप्रार्थी को नाम जरिए नामान्तरण दर्ज हुआ। चूँकि इस विवादित आराजी का बंटवारा होने तक दोनो पक्षों को वहॉ काबिज होना जहॉ कब्जा उनको दिया गया है। प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से प्राप्त करना चाहते है कि उक्त भूमि का बेचान या किसी विशेष जगह पर कब्जा न करे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योकि अभिलिखित खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना हम उचित नही समझते है। अतः विकेता ने जहां प्रार्थी –अप्रार्थी को उनको कब्जा सुपूर्द किया वहां ही कब्जा करें किसी एक दुसरे के कब्जे को दखलअंदाजी नही करे। ना ही जब तक बंटवारा नहीं होता तब तक भूमि पर निर्माण कार्य नहीं करें। प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा की तीन पूर्व शर्त आवश्यक है :

1– प्रथम दृष्टया मामला ::

अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को कय कर भूमि 1457 मीन क्षैत्र 1.25 हैक्टर म 887/1000 हिस्से की अभिलिखित खातेदार है। किसी अभिलिखित खातेदार को इस आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है कि यह संभावना है कि वह जमीन पर कब्जा कर किसी निश्चित जगह पर बैठ जायेगा। काश्तकार उसी जगह पर बैठता अपना कब्जा करता है, जहॉ विकेता ने अपना कब्जा उस जगह विशेष का उल्लेख किया है। वर्तमान में यह सहखातेदार भूमि है सभी का हिस्सा समान विहित है। लेकिन अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने पर वे अपने अधिकार से महरूम हो जायेगा। चूँकि मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

2– अपूरणीय क्षति ::

अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उसको क्षति होगी क्योकि उक्त वर्णित आराजी में अभिलिखत खातेदार है। किसी रिकोर्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उसको क्षति होगी। यह प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

-----लगातार

Scanned by CamScanner

3– सुविधा का संतुलन ::

प्रथमदृष्टया मामला व अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में है। सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में ही है क्यो कि अगर रिकोर्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो असुविधा अप्रार्थी को होगी ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणनीय क्षति व प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। साथ ही प्रार्थी व अप्रार्थी अपने अपने कब्जे पर जहॉ विकेता द्वारा उन्हें कब्जा सुपुर्द किया है उसी पर काबिज रहे।

आदेश आज दिनांक 27.09.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

27/9/19

(रमेश सीरवी, पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ

Scanned by CamScanner